न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 38/2014

वादी :- बनाम

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चोपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल चोपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी देवरी तहसील-मसूदा जिला-पाली (राज0)

प्रतिवादीगण :-

1. हांसा पुत्र सुजा
2. मांगु पुत्र सुजा
3. छोटू पुत्र सुजा
4. नाराणी पत्नि मुगनाराम
5. सोपाल पुत्र मुगनाराम
6. बुद्धाराम पुत्र मुगनाराम
7. प्रहलाद पुत्र मुगनाराम
8. रूगनाथ पुत्र मुगनाराम
9. कैलाश पुत्र मुगनाराम
10. सांवरलाल पुत्र मुगनाराम
    जातियान-गुर्जर निवासीगण
    रास तहसील-जैतारण
    जिला पाली
11. गणकी पुत्री· झुझांरा
12. अमरा पुत्र मादा
13. छोटू पुत्र मादा
14. सनु पुत्री मादा
15. सुखी देवी पत्नि झुंझार
16. बादरराम पुत्र झुंझार
17. दयालराम पुत्र झुंझार
    जातियान गुर्जर निवासीगण
    ढाणी निम्बेटी (रास)
    तहसील-जैतारण जिला -पाली
18. तहसीलदार जैतारण जिला-पाली
    राज0

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 20.02.2014

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 13.01.2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा रास तहसील जैतारण मे स्थापित, कार्यरत है, एवं उत्पादनरत है। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप मे पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपडा नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है, वाद पेश करने हेतु कम्पनी का अधिकार पत्र संलग्न पेश है, जो वाद पत्र का एक भाग है। सरहद मौजा रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण मे वोके आराजी खसरा नम्बर 3093 रकबा 25-17 बीघा किस्म बा.अ. है, जिसमे वादी कम्पनी 35/72 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार है। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है। वादी खसरा नं. 3093 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में 35/72 हिस्से की भूमि यानि 12 बीघा 11 बिस्वा 06 बिस्वांसी मौके पर बंटी हुई है व वादी का अपने हिस्से पर बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के क़ाबिज है। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। उक्त विवादित आराजी भूमि की सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी प्रति वाद के साथ पेश की है जो वाद का एक भाग है। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि वादी खसरा नं. 3093 रकबा 25-17 बीघा किस्म बा.अ. भूमि मे 35/72 हिस्से की भूमि यानि 12 बीघा 11 बिस्वा 06 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है, वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होनें बंटवाडा करवाने से दिनांक 12.01.2014 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है, वादी कम्पनी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्टस् तकासमा करवाने के अधिकारी है। इसलिए दावा तकारमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकारमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है। प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। वादी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी सं. 18 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है एवं तकासम आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नही जानती है, इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिक या फौत होने की दशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायदावा दिनांक 12.01.2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्यार समायत अदालत बाला के है। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति. जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 को बावजूद तामिली सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 26.05.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गई। वकील वादी ने शहादत वादी PW-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 11.11.2014 को पेश किया, जिसका मुख्य परीक्षण करवाकर दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 एवं Exp-2 नक्शा ट्रेस प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करवाना चाहने पर शहादत वादी बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि विवादित भूमि के वादी अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिससे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादी के तस्दीक सुदा शपथ-पत्र का गहतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी उक्त विवादित आराजी की भूमि के माफिक राजस्व रिकॉर्ड अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिससे वादी की भूमि का पक्षकारानों बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास-द्धितीय, पटवार हल्का-रास-द्धितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 3093 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाँउण्डस बँटवाड़ा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग कर नेखमबंदी /पत्थरगढ़ी करके खाता व लगान अलग-अलग करते हुए नजरी नक्शा बनाये जाने हेतु आदेशित किया गया। प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 03/12/2014 को पृथक से बनाया जाकर सामिल मिशल किया गया। बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया हैं। जिन्हें प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/14/1202 दिनांक 10/12/14 को वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक /राजस्व/15/2273 दिनांक 05/01/2015 के जरिए पेश की, जिसे सा0मि0 किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/01/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक पत्रांक/15/2273 दिनांक 05.01.2015 के संलग्न सम्पादित विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 की पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वकील वादी ने बंटवाड़ा को सम्पुष्ट कर उक्त बंटवाड़े की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-द्धितीय, पटवार हल्का-रास-द्धितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 3093 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल का बँटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3093	8-13-00	बा0दो0	2.15 रू0
2	हांसा मांगू, छोटू पि0 सूजा हि0 86/344 नाराणी पत्नि मुगनाराम सोपाल बुद्धाराम प्रहलाद रूगनाथ कैलाश सांवरलाल पि0 मुगनाराम हि0 86/344 गणकी पुत्री झुंझारा हि0 7/344 गुर्जर सा0 ढाणी निम्बेट, रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा 79/344 हि0 अमरा पुत्र मादा सुखीदेवी पत्नि झुंझार दयालराम पुत्र झुंझार गणकी पत्नि झुंझारा अमरा पुत्र मादा गुर्जर सा0 ढाणी निम्बेटी, रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा0लि0 कम्पनी 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा 86/344 हि0 खातेदार।	3093/1	17-04-00	बा0दो0	4.31 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी गण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 13/01/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चोपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल चोपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी देवरी तहसील-मसूदा जिला-पाली (राज0)

1. हांसा पुत्र सुजा
2. मांगु पुत्र सुजा
3. छोटू पुत्र सुजा
4. नाराणी पत्नि मुगनाराम
5. सोपाल पुत्र मुगनाराम
6. बुद्धाराम पुत्र मुगनाराम
7. प्रहलाद पुत्र मुगनाराम
8. रूगनाथ पुत्र मुगनाराम
9. कैलाश पुत्र मुगनाराम
10. सांवरलाल पुत्र मुगनाराम
    जातियान-गुर्जर निवासीगण
    रास तहसील-जैतारण
    जिला पाली
11. गणकी पुत्री झुझांरा
12. अमरा पुत्र मादा
13. छोटू पुत्र मादा
14. सनु पुत्री मादा
15. सुखी देवी पत्नि झुंझार
16. बादरराम पुत्र झुंझार
17. दयालराम पुत्र झुंझार
    जातियान गुर्जर निवासीगण
    ढाणी निम्बेटी (रास)
    तहसील-जैतारण जिला -पाली
18. तहसीलदार जैतारण जिला-पाली
    राज0

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:174/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रेवतसिंह चारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 3093 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल का बँटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3093	8-13-00	बा0दो0	2.15 रू0
2	हांसा मांगू छोटू पि0 सुजा हि0 86/344 नाराणी पत्नि मुगनाराम सोपाल बुद्धाराम प्रहलाद रूगनाथ कैलाश	3093/1	17-04-00	बा0दो0	4.31 रू0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सांवरलाल पि0 मुगनाराम हि0 86/344 गणकी पुत्री झुंझारा हि0 7/344 गुर्जर सा0 ढ़ाणी निम्बेट, रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड़, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा 79/344 हि0 अमरा पुत्र मादा सुखीदेवी पत्नि झुंझार दयालराम पुत्र झुंझार गणकी पत्नि झुंझारा अमरा पुत्र मादा गुर्जर सा0 ढ़ाणी निम्बेटी, रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा0लि0 कम्पनी 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड़, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा 86/344 हि0 खातेदार।				

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13.01.2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	7=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	12=00	मिजानः–	Nil

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।